कुमार आदेश सं0 ____ /1991

साक्षर अभ्यर्थियों/स्थानापन्न सहायक आरक्षी अपर निरीक्षकों को उच्चतर पदों पर पदोन्नति के लिए पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रशिक्षण प्राप्त कर निर्धारित विषयों में उत्तीर्ण होना पड़ता है । ऐसा स्वाभाविक है कि कुछ प्रशिक्षणार्थी पी0टी0 सी0 की अन्तिम परीक्षा के कई विषयों में असफल हो जाते हैं । विगत सत्रों में सम्यक विचारोपरान्त परिस्थिति के अनुसार कुछ अंकों से अनुत्तीर्ण व्यक्तियों को कृपांक देकर उत्तीर्ण घोषित किया जाता रहा है । इस संबंध में कोई निर्धारित मापदण्ड नहीं होने की वजह से सत्र विशेष में कृपांक की सीमा विषयवार भिन्न-भिन्न रही है ।

ऐसी भी प्रवृत्ति देखी जा रही है कि कतिपय अनुत्तीर्ण स0अ0नि0 जो एक या अधिक विषयों में 20-25 या और अधिक अंकों से अनुत्तीर्ण हैं, वे भी कृपांक देने की मांग करते हैं ।

अतः इस प्रक्रिया में एकरूपता लाने के लिये कृपांक देने के सम्बन्ध में नीति निर्धारण आवश्यक है ।

इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के बाद ही उच्चतर पद पर प्रोन्नति मिल सकती है । कृपांक मांगने का किसी को अधिकार नहीं है । प्रशिक्षण विभाग के उच्चतम पदाधिकारी आवश्यकतानुसार कृपांक देने का निर्णय करेंगे । इसलिए कृपांक देने के सम्बन्ध में निम्नांकित प्रावधान किया जाता है :-

(क) स0 अ0 नि0 प्रशिक्षणार्थी को यह परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिये कुल 3 अवसर दिए जायेंगे ।

(ख) प्रशिक्षण के बाद अन्तिम परीक्षाफल प्रकाशित करने के यथासम्भव 3 से 6 माह के अन्दर दूसरी पूरक परीक्षा होगी । यदि फिर भी कुछ लोग अनुत्तीर्ण होंगे तो पुनः यथासम्भव 3 से 6 माह के अन्दर तीसरी और अन्तिम पूरक परीक्षा ली जाएगी ।

(ग) सामान्यतः पूरक परीक्षाओं के लिए अनुत्तीर्ण स0अ0नि0/स0आ0 को प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण के लिए नहीं बुलाया जाएगा, बल्कि उन्हें उचित समय पर परीक्षा की प्रस्तावित तिथि की सूचना दे दी जाएगी ताकि वे स्वयं पढ़कर परीक्षा दे सकें । आउट डोर विषयों में अनुत्तीर्ण होने पर प्रशिक्षण केन्द्र में 30 दिनों के सघन प्रशिक्षण का प्रावधान किया जाएगा । कई विषयों में अनुत्तीर्ण लोगों को विशेष प्रशिक्षण देने की व्यवस्था आवश्यकतानुसार की जा सकती है ।

(घ) प्रशिक्षण के बाद की पहली मूल परीक्षा में केवल एक विषय में लगभग 5 प्रतिशत तक कृपांक दिया जा सकता है । दूसरी (पूरक) परीक्षा में एक विषय में लगभग 7 प्रतिशत कृपांक तथा तीसरी/अन्तिम (पूरक) परीक्षा में लगभग 10 प्रतिशत तक एक ही विषय में कृपांक दिया जा सकता है । कृपांक परीक्षाफल अनुमोदन के समय ही एकरूपता

-- पृ0 --

के आधार पर महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं द्वारा दिया जाएगा ।

(ङ) आरक्षी महानिदेशक सह आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार एवं आरक्षी महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं, बिहार को किसी विशेष परिस्थिति में एक या अधिक वि... में उपर्युक्त मापदण्ड से भी अधिक कृपांक देने का अधिकार रहेगा ।

(च) तीसरी/ अन्तिम पूरक परीक्षा में तथा उपर्युक्त कृपांक पाने के बाद भी यदि कोई स०अ०नि० अनुत्तीर्ण रह जाएँगे तो उन्हें अपने पद से प्रत्यावर्त्तित कर दिया जाएगा ।

(छ) कृपांक किसी परीक्षार्थी के आवेदन पत्र या बाहरी व्यक्ति की अनुशंसा पर नहीं दिया जाएगा ।

(ज) यह आदेश जनवरी 1991 से लागू समझा जाएगा ।

ह०/-

(अरुण कुमार चौधरी)
महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार
पटना ।

ज्ञापांक 184 /प्र०शि०
52-18-1-89
महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक का कार्यालय, बिहार, पटना ।
पटना, दिनांक 20 फरवरी 1991

प्रतिलिपि:- 1. आरक्षी महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

2. आरक्षी महानिरीक्षक (प्रशासन) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं पुलिस आदेश में प्रकाशन हेतु कार्रवाई के लिए प्रेषित ।

3. उ० म० नि० प्रशिक्षण-सह- प्राचार्य, आरक्षी प्रशिक्षण महाविद्यालय, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

4. महानिदेशक, अपराध अनुसन्धान विभाग/विशेष शाखा/निगरानी को सूचनार्थ ।

5. सभी प्रक्षेत्रीय महानिरीक्षक को सूचनार्थ ।

6. सभी क्षेत्रीय आरक्षी उपमहानिरीक्षक/आरक्षी उपमहानिरीक्षक, अपराध अनुसन्धान विभाग/विशेष शाखा/रेलवे को सूचनार्थ ।

7. सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी रेल आरक्षी अधीक्षक को सूचनार्थ ।

8. आरक्षी अधीक्षक, एम०पी०टी०सी०, पदमा, हजारीबाग/प्राचार्य सी०... एस० नाथनगर, भागलपुर को सूचनार्थ ।

20/2/91

(के० डी० दूबे)
आरक्षी महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं,
बिहार, पटना ।

पं०शि०/20/2/91